



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 123-2025/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 14, 2025 (ASADHA 23, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
(प्रशासकीय सुधार शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 14 जुलाई, 2025

संख्या 7/31/2014-3ए०आर०.- हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए०आर०, दिनांक 25 नवम्बर, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए०आर०, दिनांक 25 नवम्बर, 2022 में, अनुसूची में,-

- (i) क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 के सामने, खाना 7 तथा 8 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

7	8
"मुख्य पर्यावरण अभियंता-1, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड"	सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड"

- (ii) क्रम संख्या 7 और 8 तथा उनके सामने विद्यमान प्रविष्टियों लोप कर दिया जाएगा;

- (iii) क्रम संख्या 9 और 10 के सामने, खाना 7 तथा 8 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

7	8
"मुख्य पर्यावरण अभियंता-1, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड"	सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड"

- (iv) क्रम संख्या 11 तथा उनके सामने विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।

अनुराग रस्तोगी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

(1677)

HARYANA GOVERNMENT
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(ADMINISTRATIVE REFORMS BRANCH)

Notification

The 14th July, 2025

No.7/31/2014-3AR.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) and (2) of section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby makes the following amendment in Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 25th November, 2022, namely:-

Amendment

In Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 25th November, 2022, in the Schedule,-

- (i) under columns 7 and 8, against serial numbers 1, 2, 3, 4, 5, and 6, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely;

7	8
“Chief Environmental Engineer-I, Haryana State Pollution Control Board”	Member Secretary, Haryana State Pollution Control Board”.

- (ii) under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, serial number 7 and 8 and entries thereagainst shall be omitted;
- (iii) under columns 7 and 8, against serial number 9 and 10, for the existing entries thereagainst, the following entries shall be substituted, namely :-

7	8
“ Chief Environmental Engineer-I, Haryana State Pollution Control Board”	Member Secretary, Haryana State Pollution Control Board”.

- (iv) under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, serial number 11 and entries thereagainst shall be omitted.

ANURAG RASTOGI,
 Chief Secretary to Government, Haryana.

11975—C.S.—H.G.P., Pkl.